फर्द अहकाम

(नियम 13)

GCMS
2021/11
29/9/2022

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी चाडो की ढाणी — बनाम रावताराम पुत्र कुम्भाराम जाति नाई निवासी खारा मेहचान

किस्म मुकदमा – राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 रान् — मु.न. 11/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म क़ी तामील में जारी हुए
03-9-2021	पटवारी हल्का चाडो की ढाणी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2078 मैं मौजा खारा मेहचान के खसरा संख्या 548 रकबा 0.1215 है. ~~बीघा~~ किस्म भूमि गै.मु. रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15-9-2021 को बमुकाम सिणधरी पेश हो। [signature] तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
15-9-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित, गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23-9-2021 को पेश हो [signature] तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

23-9-2021 | पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधिसम्मत जवाब प्रस्तुत नहीं किया, विधि विरुद्ध अतिक्रमण करने के कारण गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

वर्ष 2021-22 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 23 पर क्र.सं. 03 पर जुर्माना/फसल विनाशी राशि रू. 50/- की मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

संवतः–2078

मुकदमा नम्बर– 11 /2021

राजस्थान सरकार जरिये बनाम रावताराम वल्द कुंभाराम

जाति भील खारा मेहैयाण

पटवारी हल्का चारों कीढाणी

निर्णय

दिनांकः– 23-9-2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी चारों कीढाणी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2078 में राजस्व ग्राम खारा मेहैयाण के खसरा नम्बर 548 में कुल रकबा 0.4854 हैक्टेयर बीघा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 0.1215 हैक्टेयर बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से बेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू– राजस्व लगान 0.05 रुपया का राउण्ड अप (एक रुपया) का 50 गुणा अर्थात 50/– रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी